कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 3093 /री.ए.डी.एम. /2020 इन्दौर, दिनांक 13-8-2020

" आ दे श"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(इन्दौर जिले में धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने एवं स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश)

(दिनांक 14/08/2020 से प्रभावशील)

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 220/2020/सी–1 दिनांक 07/08/2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उपायों हेतु **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला** दण्डाधिकारी, **जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :–

(अ) :–धार्मिक कार्य/त्यौहार आयोजन के संबंध में :–

1. यह कि सम्पूर्ण इन्दौर जिले में कोई भी **धार्मिक कार्य/त्यौहार** का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेंगा तथा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेंगी ।
2. यह कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की **मूर्ति, झांकी एवं ताजिये आदि की स्थापना नहीं की जा सकेंगी** । सभी आमजनों से अपेक्षा है कि अपने–अपने घरों में पूजा–उपासना आदि करेंगे ।

(ब) 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के संबध में :–

1. 15 अगस्त **स्वतंत्रता दिवस** के आयोजित निजी कार्यक्रमों में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, अर्थात 15 अगस्त को निजी तौर पर आयोजित

District Magistrate
District Indore (M.P.)

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में अधिक से अधिक 05 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे ।

2. राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रातः 09.00 बजे के पूर्व शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित किए जाएगें तत्पश्चात प्रातः 09.00 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे एवं प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। उक्त संबोधन को समस्त जिलों में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुना जाएगा।
3. जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा एवं सलामी दी जाएगीं एवं राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा । कलेक्टर कार्यालय के हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन सुनने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।
4. जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।
5. जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।
6. पंचायत कार्यालय में सरपंच/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।
7. ऐसे जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत जहां निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान उपलब्ध नही होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
8. नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

District Magistrate
District Indore (M. P.)

9. जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम प्रातः 08.45 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जावे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की जनता के नाम संबोधन को सुना एवं देखा जा सके।
10. सभी शासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए । कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रातः 08.00 बजे अपने विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सीमित संख्या में कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा ।
11. जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए।
12. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जन सामान्य एवं स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।
13. कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थय की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।
14. स्वतंत्रता दिवस पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
15. कार्यक्रम स्थल पर हेण्ड सेनेटाईजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए।
16. स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर दिनांक 14 एवं 15 अगस्त, 2020 की रात में प्रकाश व्यवस्था की जाए।

नोवल कोराना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड–19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों एवं राज्य शासन व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करना होगा।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड

District Magistrate

प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह आदेश आज दिनांक 13/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

2094

पृ०क्र० /री0ए0डी0एम0/2020 इन्दौर, दिनांक 13-8-2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, जिला इन्दौर ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
6. अपर कलेक्टर एवं अति0 जिला दण्डाधिकारी, (समस्त) इन्दौर ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इंदौर।
8. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र, इन्दौर ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू), सांवेर, देपालपुर, हातोद, खुड़ैल, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी, कनाड़िया, राऊ, मल्हारगंज, जिला इन्दौर ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी जिला इंदौर।
11. एस0डी0ओ0 पुलिस, इन्दौर, डॉ0अम्बडेकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, परदेशीपुरा, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज, आजाद नगर, गांधी नगर, खजराना, इन्दौर ।
13. उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय), जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
14. उप संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, इंदौर, महू, सावेर, देपालपुर।
16. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
17. थाना प्रभारी, थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
19. सभी कार्यालय प्रमुख ....

(13)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District-Indore (M. P.)